



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135-2645249 फैक्स नं0 0135-2645249 वेबसाइट www.ptcul.org

पत्रांक 572/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-5

दिनांक : 04.04.2026

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मिकों, उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेन्शनरों की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित चिकित्सालय की मान्यता अवधि एतद्वारा निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:-

क्र0 स0	चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान का नाम	मान्यता समाप्ति की अवधि	विस्तारित मान्यता अवधि	उद्देश्य
1	मेदान्ता द मेडिसिटी, सेक्टर-38, गुरुग्राम, हरियाणा।	31.03.2026	01.04.2026 से 31.03.2027 तक	सभी रोगों हेतु। (IPD-Cash less) (OPD-Without Cash less)

प्रतिबन्ध यह होगा कि :-


- उक्त चिकित्सालय पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के साथ पूर्व में हुए अनुबन्ध एवं इस कार्यालय के आदेश संख्या 1963/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-5 दिनांक 15.12.2016 में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों तथा उनके चिकित्सालय द्वारा प्रेषित एवं पिटकुल द्वारा अनुमोदित नवीन चिकित्सा दर सूची (अगस्त-2025) के अधीन चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा, जिस पर (OPD, IPD, Preventive Health Package) 15 प्रतिशत की छूट देय होगी। (Excluding- Package based OPD treatment (e.g. mental health, post transplant) Drugs, Disposable, consumables, blood component, implants, devices, all day care procedures, investigation other than lab & radiology, CT, PET-CT, MRI and outsourced investigation & test, OT & Anesthesia Charges and component of any pre defined packages.)
- उक्त चिकित्सालय द्वारा उपरोक्तानुसार पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में कार्यरत कर्मिकों, सेवानिवृत्त कर्मिकों, उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेन्शनरों को भर्ती (IPD) की दशा में कैश-लैस व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सा उपलब्ध करायी जाएगी।
- मान्यता अवधि में चिकित्सा दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी तथा चिकित्सालय द्वारा निर्धारित शर्तों की अवहेलना करने पर चिकित्सालय की मान्यता समाप्त की जा सकती है।
- उपरोक्त के साथ ही उक्त चिकित्सालय अपने परिसर में एक साईन बोर्ड लगायेगा, जो यह दर्शायेगा -
“ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स एवं उन पर पूर्णतया आश्रित सदस्यों के लिए अधिकृत चिकित्सालय”
- चिकित्सालय द्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 का एक अलग रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें निम्न प्रविष्टियां अनिवार्यतः अंकित की जायेगी -
 - रोगी का नाम, आयु एवं लिंग
 - यदि रोगी स्वयं कर्मचारी/अधिकारी नहीं है तो उसके पिता/पति का नाम और रोगी से सम्बन्ध। (केवल पूर्णतया आश्रित होने की स्थिति में)
 - चिकित्सालय में भर्ती एवं डिसचार्ज की तिथि
 - कर्मचारी का वेतनमान तथा तैनाती स्थान।
 - रोग का विवरण।
 - कुल प्राप्त की गयी राशि।
 - निगम अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर
- उक्त रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि चिकित्सालय द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 572/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0-5 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/डा0ए0ऑ0-निदेशक-(मा0सं0)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/कम्पनी सचिव/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि वह आदेश को दर सूची (अगस्त-2025) सहित पिटकुल की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
6. श्री अभिजीत कुमार, ए0वी0पी0-मार्केटिंग, मेदान्ता-द मेडिसिटी, सेक्टर-38, गुरुग्राम, हरियाणा।
7. सम्बन्धित पत्रावली।


(अशोक कुमार) (मुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)